

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्त आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिये नितांत अस्थाई आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक आवेदकों से आवश्यकता अनुसार अथवा सत्रांत (सत्र 2025 - 26) तक जो भी पूर्ववर्ती हो के लिए आवेदन दिनांक 18.08.2025 शाम 05:00 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण म.प्र. शासकीय सेवा का भाग नहीं है तथा वे लोक सेवक नहीं होकर पूर्णतः (अंशकालिन) अस्थायी तथा सिमित समयावधि के लिये होंगे।

विषय	पद संख्या	अनिवार्य योग्यता
1. राजनीति शास्त्र	02	यु.जी.सी एवं उच्चशिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के मापदंड अनुसार एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट/सेट/पीएचडी धारकों को वरीयता
2. हिन्दी साहित्य	01	
3. भौतिक शास्त्र	01	
4. कम्प्यूटर विज्ञान	02	
5. गणित MPPLR	02	
6. अर्थशास्त्र	01	
7. वनस्पति शास्त्र	01	
8. समाजकार्य	01	
9. शारीरिक शिक्षा	01	
10. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री	02	
11. पर्यटन	01	

विषय	पद संख्या	अनिवार्य योग्यता	वांछनीय योग्यता
1. व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण	02	अंग्रेजी या हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि	संबंधित विषय में Certificate या Diploma को वरीयता दी जावेगी
2. वर्मी कम्पोस्ट	01	प्राणीशास्त्र में स्नातकोत्तर	
3. जैविक खेती	01	वनस्पति शास्त्र में स्नातकोत्तर	
4. उद्यमिता	01	वाणिज्य या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर	
5. टैली एवं अकाउंटिंग	01	वाणिज्य में स्नातकोत्तर	
6. विक्रय कला	01	वाणिज्य में स्नातकोत्तर	

- टीप:- 1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, यु.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के अनुभव अनुसार बनी गुणानुक्रम सूची के आधार पर चयन होगा।
2. प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण विवरण, डाक का पता, एवं मोबाईल नंबर सहित लिखें। साथ में स्वयं का अद्यतन फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।
3. मानदेय 250/- प्रति कालखंड की दर से अधिकतम 750/- प्रति दिवस देय होगा।
4. चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य एवं सचिव को होगा।
5. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने के समस्त वैधानिक अधिकारी हैं।
- आवेदन का प्रारूप संलग्न है।